



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 12821/2017**

| अपीलार्थी   | बनाम | प्रत्यर्थी  |
|---|------|---|
| राजेन्द्र कुमार जैन<br>म.न. 5/90, गांधी नगर,<br>जयपुर, राजस्थान |      | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं<br>प्रधानाचार्य<br>राज0 उ0 मा0 विधालय, लक्ष्मण<br>डुंगरी, जयपुर |

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
निर्णय**

**दिनांक : 19-02-2018**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से परमजीत कौर, प्रधानाचार्य, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 13-6-17 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा लोक सेवकों के कार्यालय में समय पर आने जाने के सम्बन्ध में विभिन्न अवधियों में जारी किये गये नियम/ दिशा निर्देशों की प्रति, उपस्थिति रजिस्टर के संधारण में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति, आदि 8 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलोत्तर की प्रति पृष्ठांकित कर वांछित सूचना/विनिश्चय का प्रेषण किया जा चुका है। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी स्थानीय विद्यालय में लिपिक पद पर कार्यरत था जहां एक महिला शिक्षक से अभद्र व्यवहार के कारण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जयपुर प्रथम द्वारा विभागीय जांच कर, दोषी पाये जाने पर चेतावनी देते हुए अन्यत्र पदस्थापित कर दिया गया था। साक्ष्य के रूप में सम्बन्धित पत्रादि की प्रतियां भी संलग्न कर प्रस्तुत की है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 23-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)  
मुख्य सूचना आयुक्त